



सत्यमेव जयते

(भाग बी)

**(PART B)**



संकर्म मामले  
**WORKS MATTER**

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्विस भवनों, कर्मचारी आवासों, जल आपूर्ति, सफाई प्रस्थापना, कर्मशाला एवं शेडों की सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण जो राजस्व के लिए प्रभार्य है जिसके लिए बजट आबंटित की गई हो।	इंजीनियरिंग कोड का अध्याय VII	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट:</p> <p>1 इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय सहमति से किया जाए।</p> <p>2. प्राक्कलन तैयार करने संबंधी संगत नियमों का अनुपालन किया जाए।</p>							
2	विस्तृत अनुमान/संशोधित अनुमान की तकनीकी मंजूरी (A) संकर्म प्रोग्राम/आरएसपी/एमएंडपी में मदवार संकर्म या उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित या एलएडब्ल्यू/ एलएसडब्ल्यूपी में शामिल मदवार संकर्म						
	पूंजी, पूंजीगत निधि, मूल्यहास आरक्षित निधि, विकास निधि, ट्रैक नवीकरण और एकमुश्त अनुदान/ डीपीडब्ल्यूपी/ विधि पुस्तक और निक्षेप कार्य को प्रभार्य चल स्टॉक और एम एंड पी कार्य को छोड़कर वर्ष के लिए अनुमोदित कार्यक्रम में शामिल संकर्म।	1.इंजीनियरिंग कोड का पैरा-703 2.बोर्ड का पत्र सं.F(X)II-2006/PW/17 दि.04.12.2006 एवं 24.05.2007 3.बोर्ड का पत्र सं.F(X)II-2015/PW/7 दि.12.06.2017	100 करोड़ रुपये तक	50 करोड़ रुपये तक	5 करोड़ रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :</p> <p>1.वित्तीय पुनरीक्षण आवश्यक है।</p> <p>2.उप आकलन या विस्तृत आकलन जो कार्य के भाग का हिस्सा बन सकता है, जिसके प्राक्कलन सार को उच्च प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो, उसकी मंजूरी प्रदान करने के लिए भी यह शक्ति लागू होगी।</p> <p>3.कालम 4,5,6 के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियाँ में बढत के कारण लागत सार की तुलना में हुई वृद्धि 100% तक और बढत के अलावा अन्य कारण से हुई वृद्धि का 20% तक शामिल है, बशर्ते कि लागत संबंधित प्राधिकारी के संस्वीकृत करने की शक्ति से ज्यादा न हो।</p> <p>4.जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्शदाता से सेवा लेकर आरंभ में ही विस्तृत आकलन तैयार किया जाए। तकनीकी में परिवर्तन या स्थानीय शर्तों में परिवर्तन होने पर ही कार्य की परिधि में परिवर्तन किया जाए पर योजना/ लेआउट में परिवर्तन होने पर नहीं किया जाए। सभी मौजूदा प्रावधान यथावत रहेंगे। प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017</p>							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ordinary repairs and maintenance to service buildings, staff quarters, water supply, sanitation installations, workshops & sheds chargeable to revenue for which, budget allotment has been made.	Chapter VII of Engg. Code.	Full powers	Full powers.	Full powers	Nil	Nil
Note: 1. These powers are to be exercised with Finance Concurrence. 2. The rules relevant to preparations of estimates should be followed							
2	Technical sanction to detailed estimates/ revised estimates(A) Works itemized in the works programme/RSP/M&P or approved by the higher authority or included in LAW/LSWP.						
	i) Chargeable to Capital, Capital Fund, Depreciation Reserve Fund, Development fund, Track renewal & lumpsum grant/ DPWP / Law book & deposit works. Works included in the approved programme for the year , excluding Rolling stock and M&P programme	1. Para-703 of Engg. Code. 2 Board's letters No. F(X)II- 2006/PW/17 dated 04-12-2006 & 24.05.2007. 3 Board's letter No. F(X)II/2015/ PW/7 Dt : 12/06/2017	Upto Rs. 100 Cr.	Upto Rs. 50 Cr.	Upto Rs. 5 Cr.	Nil	Nil
NOTE 1. Associate Finance vetting is necessary. 2. This power will also apply for sanction to sub-estimates or detailed estimates which may form part of a work, the abstract estimate of which has been sanctioned by higher authority. 3. The powers delegated under Columns 4,5,6 also cover the excess over the Abstract cost up to 100% due to escalation and due to other than escalation up to 20% subject to the condition that the cost does not go beyond the powers of sanction of the respective authorities. 4. Detailed estimate may be prepared in the initial stage by taking services of a consultant wherever required. Change in scope may be done only on account of change of technology or change in local conditions but not due to change in planning/layout. All the existing provisions will be retained [Authority: RB Ltr. No. 2017/Trans/01/Policy dt. 18.10.2017]							

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	ii) स्वीकृत संकर्म के अनुसार एम एंड पी		10 करोड़ रु तक	5 करोड़ रु तक	2 करोड़ रु तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: औजार एवं संयंत्र के लिए एम एंड पी का परिभाषा - औजार एवं संयंत्र के लिए सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है (1 लाख रुपये से अधिक का औजार और माप उपकरणों को पहले एम एंड पी के रूप में खरीदा जाता था)। 3 लाख रुपये तक की खरीद के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017.</p> <p>नोट: एम एंड पी के अधीन दोपहिया गाड़ियों की खरीद के लिए मंजूरी- महाप्रबंधक- रेसुब चौकी प्रभारी के लिए दोपहिया वाहन खरीदने के लिए पूरी शक्तियाँ।</p> <p>प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017.</p>							
	(iii) सर्वेक्षण प्राक्कलन	1.रेलवे बोर्ड का दिनांक 18.11.2016 का पत्र सं. 2012/W-Genl./ सर्वेक्षण/ बजट में निहित मापदंड के अनुसार 2.बोर्ड का पत्र सं.F(X)III/ 2000 /PW/2, दिनांक 27.06.2000 एवं सं.F(X)II /2006/PW/17 दिनांक 18.10.2006 तथा 3.बोर्ड का पत्र सं.2007/ CE-I/CT/18दिनांक 07.03.2008	स्वीकृत बजट में शामिल सर्वेक्षण या अलग से स्वीकृत सर्वेक्षणों के लिए 5 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट : 1. वित्तीय पुनरीक्षण आवश्यक है।</p> <p>2. कार्य के प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत प्रभार्य अंतिम स्थान सर्वेक्षणके लिए महाप्रबंधक की निजी मंजूरी की आवश्यकता होती है।</p> <p>3. बजट में मूल रूप से स्वीकृत कार्य की 5% लागत तक के प्राक्कलन के हिस्से की स्वीकृति के लिए भी ये शक्तियाँ लागू होती हैं।</p> <p>4. प्रारंभिक गतिविधि जैसे अंतिम स्थान सर्वेक्षण, भू-तकनीकी अध्ययन, डिजाइन, योजनाओं एवं आरेखों आदि की तैयारी जो विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में सहायक होगी उसके खर्च के लिए आंशिक प्राक्कलन की मंजूरी प्रदान की जाएगी।</p> <p>5. इन प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा होने के बाद विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा सकता है और मंजूरी ली जा सकती है।</p>							
	(iv)राजस्व (सामान्य एवं विशेष) को प्रभार्य प्राक्कलन के लिए मंजूरी प्रदान करना जिसके लिए बजट आबंटन का प्रावधान किया गया है।		पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट: वित्तीय सहमति आवश्यक है।							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ii) M&amp;P as per sanctioned works</b>		Upto Rs. 10 Cr.	Upto Rs. 5 Cr.	Upto Rs. 2 Cr.	Nil	Nil
	<p>Note: Definition of M&amp;P for tools and plants - The limit for tools and plants enhanced from Rs.1 lakh to Rs. 10 lakh (tools and measuring equipment costing above Rs. 1 lakh were procured as M&amp;P earlier). No finance vetting is required upto Rs. 3 lakh.</p> <p>Authority:RB Ltr. No. 2017/Trans/01/Policy dt. 18.10.2017</p> <p>Note: Sanctioning of procurement of two wheelers under M&amp;P -GMs - Full powers to sanction two wheelers for RPF Post incharge</p> <p>Authority:RB Ltr. No. 2017/Trans/01/Policy dt. 18.10.2017.</p>						
	(iii) Survey estimates	<p>1. As per the yard sticks laid down by Board's letter No. 2012/W- 1/Genl./ Survey/Budget dtd 18.11.2016</p> <p>2. Board's letter No. F(X) II/2000/PW/2, dated 27-06-2000 &amp; No. F(X) II/2006/ PW/17, dt.18.10.2006 and 4.12.2006.</p> <p>3. Board's Letter No. 2007/CE-I/CT/ 18 dated 07.03.2008.</p>	Up to Rs.5 lakhs for surveys included in the sanctioned budget or sanctioned separately.	Nil	Nil	Nil	Nil
	<p>Note :1. Finance vetting is necessary.</p> <p>2. Final location survey chargeable to preliminary expenditure of the work requires GM's personal sanction.</p> <p>3. These powers also cover sanction of part estimates costing up to 5% of the work as originally sanctioned in the budget.</p> <p>4. Part estimate may be sanctioned towards incurring expenses for preliminary activities like Final Location Survey, Geo-technical studies, designs, preparation of plans and drawings etc., which will help in preparation of detailed estimates.</p> <p>5. The detailed estimate can be prepared and got sanctioned only after these preliminary activities are completed.</p>						
	(iv) To sanction estimate chargeable to revenue (Ordinary & Special) for which budget allotment has been made.		Full powers	Full powers	Full powers	Nil	Nil
	Note :- Finance concurrence is required.						

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	(v) परीक्षण और प्रायोगिक कार्यों पर और स्वीकृत बजट आबंटन के भीतर राजस्व के प्रति प्रभार्य विशेष कार्यों पर व्यय करने के लिए और जो कोड नियम, रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबंधक द्वारा समय-समय पर लागू प्रतिबंध के अधीन हो।	वित्तीय कोड जिल्द- I का पैरा 587 व 740	पीएचओडी:प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये तक पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट: वित्तीय सहमति आवश्यक है।							
3	निक्षेप कार्यों हेतु विस्तृत प्राक्कलनों की तकनीकी मंजूरी :						
	अन्य सरकारी विभाग, स्थानीय निकायों अथवा निजी व्यक्तियों को प्रभार्य कार्यों के लिए प्राक्कलन की मंजूरी प्रदान करना।	याँत्रिक कोड का पैरा 1417 एवं महाप्रबंधक के एस ओ पी का मद 46	50 लाख रुपये मात्र	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट: 1. वित्तीय पुनरीक्षण आवश्यक है। 2. कार्य के लिए अनुमानित राशि को कार्य आरंभ करने से पहले रेपका में जमा की जानी चाहिए।							
4	निक्षेप कार्यों के लिए प्राक्कलन से भी अधिक की मंजूरी प्रदान करना।	इंजीनियरिंग कोड का अध्याय VII	पूरी शक्तियाँ बशर्ते कि मूल प्राक्कलन की मंजूरी उनके द्वारा प्रदान की गई हो।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट: 1. वित्तीय पुनरीक्षण आवश्यक है। 2. आवेदक द्वारा पहले से ही पूरी अतिरिक्त लागत में जमा कर देनी चाहिए।							
5	विस्तृत/संशोधित/अंतिम प्राक्कलन तैयार करते समय अधिक अधिप्राक्कलन(उच्चतर प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत) की मंजूरी। a) एम एंड पी और सर्वेक्षण के अलावा (मदवार कार्य और सहमति प्राप्त कार्यों की सूची)						
	वृद्धि के कारण लागत में बढत	रे.बो.का पत्र सं.F(X)II-2006/PW/17दि. 04/12/2006 व पत्र सं. 2016/F(X)III/10 /17 दि. 05/10/2016	मूल प्राक्कलन का 100% तक	मूल प्राक्कलन का 100% तक	मूल प्राक्कलन का 100% तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वृद्धि के अलावा अन्य कारणों से लागत में बढत	रे.बो. का पत्र सं.F(X)II-2006/PW/17 दि.04/12/2006 व पत्र सं. 2016/F(X)III/10/ 17 दि.05/10/ 2016	मूल प्राक्कलन का 20% तक	मूल प्राक्कलन का 20% तक	मूल प्राक्कलन का 20% तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	(v) To incur expenditure on trial & experimental works and special works chargeable to revenue within the sanctioned budget allotment & subject to restrictions imposed by the Code Rules, Rly Board & G.M. from time to time. Note:-Finance concurrence is necessary.	Para 587 & 740 of Finance Code Vol I	PHOD : Full powers Up to Rs.10 Lakhs in each case.	Nil	Nil	Nil	Nil
3	Technical sanction to Detailed Estimates for Deposit Works:						
	To sanction estimate for works chargeable to other Govt. Department, Local bodies or private individuals.	Para 1417 of Mechanical code & item 46 of GM's SOP.	Rs. 50 Lakhs only	Nil	Nil	Nil	Nil
	Note :-1. Finance vetting is necessary. 2. The estimated amount for the work should be deposited with RWF before commencement of the work.						
4	To sanction an excess over estimate for deposit works.	Chapter VII of Engg. Code.	Full powers provided original estimate has been sanctioned by him	Nil	Nil	Nil	Nil
	(1) Finance vetting is necessary. (2) The excess cost should be fully deposited by the applicant in advance.						
5	Sanction of excess over estimates (sanctioned by higher authority) at the time of preparing Detailed /Revised/ Completion Estimate. a) Other than M&P and surveys ( for itemised works and LAW items )						
	Increase in cost due to escalation	Authority: Board's letter No. F(X)II-2006/PW/17 dt: 04/12/2006 & Lr. No.2016/F(X)II/10/17 dt.05/10/2016	Upto 100% of the original estimate	Upto 100% of the original estimate	Upto 100% of the original estimate	Nil	Nil
	Increase in cost due to reasons other than escalation	Authority: RlyBoard's letter No. F(X)II-2006/PW/17 dt: 04/12/2006. & Lr.No.2016/F(X)II/10/17 dt.05/10/2016	Upto 20% of the original estimate	Upto 20% of the original estimate	Upto 20% of the original estimate	Nil	Nil

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	b) सर्वेक्षण प्राक्कलन		मूल प्राक्कलन का 20% तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट 1.वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>2.संकर्म, स्थापना, और सामान्य प्रभार्य के लिए प्रावधान किए गए प्रतिशत के ऊपर अधिकता के लिए कोई शक्तियाँ नहीं।</p> <p>3. ये सार प्राक्कलन पर समग्र बदलाव है और एक से अधिक संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत होने पर भी अधिक नहीं हो सकता है। वृद्धि/वृद्धि के अलावा होने वाली अनुमेय समग्र अधिकता केवल लागत सार के संदर्भ में ही होगा।</p> <p>4.सामग्री संशोधन से संबंधित लागू नियमों को यह प्रत्यायोजन प्रभावित नहीं करेगा।</p> <p>5.ये शक्तियाँ कोड, रेलवे बोर्ड के पत्र और समय-समय पर जारी महाप्रबंधक के निर्देशों में निहित प्रतिबंधों के अधीन होगी।</p> <p>6.आरएसपी के लिए इन शक्तियों का प्रयोग मुयाइंजी/मुकइंजी/मुविइंजी द्वारा की जाएगी। प्राक्कलनकी लागत में संशोधन करते समय, विलंब/अधिक समय के कारणों को साफ-साफ रिकार्ड किया जाए।</p> <p>7.मूल्य में वृद्धि के कारण हुई वृद्धि को स्वीकृत करने के लिए महाप्रबंधक को पूरी शक्तियाँ हैं। फिर भी मूल्य वृद्धि के कारण लागत में हुई वृद्धि के लिए जैसे</p> <p>a). 100% से अधिक और 150% तक के लिए एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी।</p> <p>b). 150% से अधिक और 200% तक के लिए दो स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी।</p> <p>c). 200% से अधिक के सभी मामलों की मंजूरी के लिए महाप्रबंधक के पास भेजा जाए।</p> <p>8.मूल्य, मात्रा आदि के कारण सारे अंतरों सहित संशोधित प्राक्कलन की पूरी लागत क्रम सं. 2 में दिए गए विवरण के अनुसार प्राक्कलनों को स्वीकृत करने की शक्तियों के भीतर होनी चाहिए। रेलवे बोर्ड के पत्र सं. F(X)II-0215/PW/7 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार, प्राक्कलन की तुलना में अधिकता होने पर भी महाप्रबंधक स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं जब अंतर ऊपर निर्धारित प्रतिशत से अधिक हो और संशोधित लागत महाप्रबंधक द्वारा नए कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों के भीतर हो।</p>							
(c) एम एंड पी प्राक्कलन							
	वृद्धि के कारण लागत में बढ़त	रेलवे बोर्ड का दि.24/08/2016 का पत्र सं.2011/F(X)-11/5/11, रेलवे बोर्ड का दि. 18.10.2017 का पत्र सं.2017/Trans/ 01/ नीति	मूल प्राक्कलन का 100% तक अथवा 2 करोड़ रुपये, जो भी कम हो।	मूल प्राक्कलन का 100% तक अथवा 2 करोड़ रुपये, जो भी कम हो	मूल प्राक्कलन का 100% तक अथवा 2 करोड़ रुपये, जो भी कम हो	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वृद्धि के अलावा अन्य कारणों से लागत में बढ़त		मूल प्राक्कलन का 20% तक अथवा 50 लाख रुपये, जो भी कम हो।	मूल प्राक्कलन का 20% तक अथवा 50 लाख रुपये, जो भी कम हो।	मूल प्राक्कलन का 20% तक अथवा 50 लाख रुपये, जो भी कम हो।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट : 1.वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>2.मूल्य वृद्धि के अलावा अन्य कारणों से लागत में हुई वृद्धि के लिए दर्शाई गई शक्तियों में सामग्री संशोधन भी शामिल होगा।</p> <p>3.ये बजट में शामिल मूल स्वीकृत लागत के संबंध में समग्र विचलन है और इन्हें पार नहीं किया जा सकता है, भले ही एक से अधिक संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत हो।</p> <p>4.ये शक्तियाँ उस शर्त के अधीन है कि कुल लागत (अधिकता सहित) मूल स्वीकृति प्राधिकारी की शक्तियों से अधिक नहीं हो।</p>							



Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	(b) Survey estimates :		Up to 20% of the original estimate.	Nil	Nil	Nil	Nil
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finance concurrence is required</li> <li>2. No powers to incur any excess over the percentage provision for works, establishment, and general charges.</li> <li>3. These are the overall variations on the abstract estimate and cannot be exceeded even if more than one revised estimate is sanctioned. The permissible overall excess due to escalation/ other than escalation is with reference to Abstract Cost only.</li> <li>4. This delegation will not affect the rules in force regarding Material Modification.</li> <li>5. These powers are subject to the restrictions stipulated in Codes, Railway Board's letters and GM's instructions from time to time.</li> <li>6. For RSP these powers will be exercised by CME/CWE/ CEE. While processing the revision in the cost of estimate, the reasons for delay/time overrun should be clearly recorded.</li> <li>7. GM have full powers to sanction excess over estimates due to price escalation. However, increase in cost due to price escalation- <ol style="list-style-type: none"> <li>a. By more than 100% and up to Rs. 150% one stage higher Officer will sanction</li> <li>b. By more than 150% and up to Rs. 200% two stage higher Officer will sanction &amp;</li> <li>c. By more than 200% all cases to be sent for sanction of GM.</li> </ol> </li> <li>8. The overall cost of revised estimate including all variations i.e. due to price, quantity etc should be within the powers of sanctioning of estimates as mentioned in 2. The GMs can sanction excess over estimate even when the variation is beyond the percentage variation prescribed above so long as the revised cost is within the limit of powers of GMs to sanction new works as per Rly Board's letter no. F(X)II-2015/PW/7 dtd 12.06.17</li> </ol>						
	<b>(c) M&amp;P Estimates</b>						
	Increase in cost due to escalation	Rly Board's letter No. 2011/F(x)-11/5/11 dt: 24/08/2016. Rly Bd's letter No.2017/Trans/01/Policy dt. 18.10.2017	Upto 100% of the original estimate or Rs.2 Cr whichever is less	Upto 100% of the original estimate or Rs.2 Cr whichever is less	Upto 100% of the original estimated cost or Rs.2 Cr whichever is less	Nil	Nil
	Increase in cost due to reasons other than escalation		Upto 20% of the original estimate or Rs.50 lakh whichever is less	Upto 20% of the original estimate or Rs.50 lakh whichever is less	Upto 20% of the original estimate or Rs.50 lakh whichever is less	Nil	Nil
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finance vetting is necessary.</li> <li>2. Powers indicated for increase in cost due to reasons other than price escalation cover material modification also.</li> <li>3. These are the overall variations with respect to original sanctioned cost as included in the Budget at the time of sanction and cannot be exceeded even if more than one revised estimate is sanctioned.</li> <li>4. These powers are subject to the condition that the total cost (including the excess) does not exceed the powers of the original sanctioning authority.</li> </ol>						

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>5.सामग्री संशोधन से संबंधित लागू नियमों को यह प्रत्यायोजन प्रभावित नहीं करेगा । 6.ये शक्तियाँ कोड, रेलवे बोर्ड के पत्र और समय-समय पर जारी महाप्रबंधक के निर्देशों में निहित प्रतिबंधों के अधीन होगी ।</p>							
6	संकर्म में सामग्री संशोधन		पीएचओडी 15 लाख रुपये तक	5 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :1.वित्तीय सहमति आवश्यक है । 2.मूल अनुमानित लागत के 10% की सीमा तक । 3.रुपए 15 लाख से अधिक परन्तु 2.5 करोड़ रुपये से कम की सामग्री संशोधन प्राकलन के लिए प्रविस की सहमति के साथ महाप्रबंधक की व्यक्तिगत मंजूरी आवश्यक है । 4.प्राकलन की संशोधित लागत पर अधिकता महाप्रबंधक की स्वीकृति की शक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए । प्राधिकार: 1.इंजीनियरिंग कोड का पैरा- 1110 2.रे.बो. का पत्र सं. F(X)II-2006/PW/ 17 दिनांक 18.10.2006</p>							
7	निविदा/संविदा/करार : अनुमोदित और स्वीकृत कार्यों के लिए संविदा-अथवा स्वीकृत कार्य अथवा क्षेत्रीय संविदाओं से संबंधित आपूर्ति A)निविदा आमंत्रित करना i)खुली निविदाएँ	1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2007/CE-I/CT/18 Pt. II दिनांक 30.07.2010 2. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2007/CE-I/CT/18 Pt. XII दिनांक 31.12.2010(पैरा सं.4) 3.रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 94/CE-I/CT/4/Pt.17 दिनांक 13.08.2012 4.बोर्ड का पत्र सं.2017/CE -I/CT/10-प्रापण चक्र दिनांक 23.10.2017	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1.सभी संकर्म ठेका जिनके लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन आवश्यक हो, तो जहाँ तक संभव हो निविदा की दो पैकेट प्रणाली अपनाई जाएं । 2. रुपए 10 करोड़ से अधिक मूल्य की संकर्म निविदा आमंत्रित करने के लिए, दो पैकेट प्रणाली का अवश्य अनुपालन किया जाएगा । यदि कोई कार्यकारी अधिकारी जो पीएचओडी/सीएचओडी स्तर से कम नहीं के द्वारा एकल पैकेट प्रणाली अपनाने का निर्णय लेने पर कारण रिकार्ड करते हुए संबंधित वित्त की सहमति आवश्यक है । फिर भी, प्रत्यायोजन को पीएचओडी की निविदा स्वीकृति शक्तियों की सीमा तक प्रतिबंधित किया जाता है । 3. रुपए 10 करोड़ मूल्य तक निविदाओं के लिए, दो पैकेट प्रणाली अपनाने का निर्णय वित्तीय सहमति से निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।</p>							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. This delegation will not affect rules in force regarding Material Modification. 6. These powers are subject to the restrictions stipulated in Codes, Railway Board's letters and GM's instructions from time to time.						
6	Material Modification in works .	Authority: 1. Para-1110 of Engg. Code. 2. Board's Lr. No F(X) II-2006/PW/17 dated 18-10-2006	PHOD Up to Rs.15 lakhs	Up to Rs.5 lakh.	NIL	Nil	Nil
	NOTE :1. Finance concurrence is necessary. 2. Subject to a ceiling of 10% of original estimated cost. 3. Material modification estimated to cost more than Rs. 15 lakhs but below Rs. 2.5 Crores, personal sanction of GM with PFA's concurrence is required. 4. The excess over the revised cost of the estimate does not go beyond the General Manager's powers.						
7	TENDERS/CONTRACTS/ AGREEMENTS: Contract for approved and sanctioned works- or supplies related to sanctioned works or zonal contracts.A) Calling of Tenders: i) Open Tenders.	1. Railway Board's letter No. 2007/CE-I/CT/18 Pt. II dated 30.07.2010. Railway 2. Board's letter No 2007/CE-I/CT/18 Pt. XII dated 31.12.2010 (Para No 4). 3. Railway Board's letter No. 94/CE-I/CT/4/Pt.17 dated 13.08.2012. 4. Board's letter no. 2017/CE-I/CT/10-Procurement Cycle dtd 23.10.2017.	Full powers	Full powers	Upto Rs.2 Crores in each case	Nil	Nil
	Note: 1) For all works contract tenders requiring techno-economic evaluation, Two Packet System of tendering shall be the norm as far as possible. 2) For inviting Works Tenders valuing more than Rs.10 Crs, two-packet system, shall mandatorily be followed. In case it is decided by an Executive Officer not below PHOD/CHOD level for adopting single packet system concurrence of Associate Finance is required with reasons recorded. However, the delegation is restricted to the extent of Tender acceptance powers of PHODs. 3) For Tenders valuing up to Rs. 10 Crs, decision to adopt two-packet system shall be taken by the tender inviting authority with the concurrence of associate finance.						

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>4.अति आवश्यक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में निविदा अनुसूची का पूर्व पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं है जहाँ विस्तृत प्राक्कलन की मंजूरी के बिना निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।</p> <p>5 लाख रुपये तक के जिसके लिए विस्तृत प्राक्कलन बनाने की जरूरत नहीं है वैसे क्षेत्रीय संकर्म और राजस्व संकर्म के मामले में भी पूर्व पुनरीक्षण आवश्यक नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत प्राक्कलन में यथाशामिल कार्य की निविदा अनुसूची दर/मात्रा/कार्य की परिधि के आधार पर तैयार की जाती है।</p> <p>6.परामर्श कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।</p> <p>7. सभी क्षेत्रीय संविदा के लिए खुली निविदा होनी चाहिए।</p> <p>8. 50 लाख रुपये तक की प्रत्येक खुली निविदा के लिए पात्रता मानदंडों को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की खुली निविदाओं के लिए निर्धारित पात्रता में छूट देने के लिए, प्रविस की सहमति के साथ महाप्रबंधक का व्यक्तिगत अनुमोदन आवश्यक है। तथापि, विशेष निविदाओं में पात्रता मानदंड सम्मिलित करने के लिए, सभी मामलों में पीएचओडी का निर्णय अंतिम होगा।</p> <p>9.निविदा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त सूचना अवधि दी जानी चाहिए जो बड़े कार्यों के मामले में एक माह से कम नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त निर्धारित सूचना अवधि प्रधान वित्त सलाहकार के परामर्श से दिया जाना चाहिए।</p> <p>10.विदेशी विनिमय से जुड़े सभी निविदाओं के लिए महाप्रबंधक के प्रशासनिक अनुमोदन होनी चाहिए।</p>							
(ii) विशेष सीमित निविदा a) विशेष प्रकृति का संकर्म	1. रे.बो. का दि. 22.10.01 का पत्र सं.94/CE-1/CT/4 एवं दि.17.10.2002 2. रे.बो.का पत्र सं.F(X)II/2006/RW3 दि.27.02.06 एवं 16.05.06 और पत्र सं.F(X)II/2006/PW/13 दि.9.8.2006 3. रे.बो. का पत्र सं.2007/CE//CT/18 दिनांक 28.09.2007	पीएचओडी पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
<p>नोट: 1. वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>2. विशेषज्ञ एवं प्रतिष्ठित ठेकेदारों/संगठनों/एजेंसियों से विशेष सीमित निविदा आमंत्रित की जाएं।</p> <p>3. निविदाकारों का अनिवार्य रूप से अनुमोदित सूची में होना जरूरी नहीं है।</p> <p>4. निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रविस के परामर्श से विशेष सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाई जाए - (i) विशिष्ट प्रकृति के कार्य (व्यक्तिगत रूप से विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो)</p> <p>5. निविदाकार जिनसे वि.सी.नि. आमंत्रित की जानी हो वे अधिमानतः छः से अधिक परन्तु चार से कम नहीं होनी चाहिए।</p>							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>4. Pre-vetting of tender schedules is not necessary except in the rare urgent cases where tenders are called without sanction of detailed estimate. Pre-vetting is also not necessary in case of zonal works and revenue works up to Rs.5 lakhs for which detailed estimates need not be framed. It shall be ensured that the tender schedules are prepared based on the rates/quantities/scope of the work as included in the sanctioned estimates.</p> <p>5. For inviting tender for consultancy works, prior approval of competent authority has to be obtained .</p> <p>6. All zonal contracts should be open tenders.</p> <p>7. Eligibility criteria need not be stipulated for open tenders up to Rs.50 lakhs each. For relaxation in the prescribed eligibility for open tenders costing above Rs.50 lakhs, personal approval of GM is required with PFA's concurrence. However, for inserting eligibility criteria in specialised tenders, decision of PHOD shall be final in all cases.</p> <p>8. Sufficient notice period should be given for the submission of tenders, which in the case of large works should not be less than a month. The above prescribed tender notice period may be departed from in consultation with the Principal Financial Adviser.</p> <p>9. All tenders involving foreign exchange should have prior administrative approval of GM.</p>						
	(ii) Special Limited Tender a) Works of specialized nature	<p>1. (Rly. Bd's letter No. 94/CE-I/CT/4 dated 22.10.2001 and 17.10.2002</p> <p>2. Rly. Bd's Ltr. No. F(X) II/2006/RW3dt. 27-2-2006 and 16-05-2006 and F(X) II/2006/PW/13dt. 9-8-2006.</p> <p>3. Rly. Bd's. Lr. No. 2007/CE/I/CT/18dt. 28-9-2007</p>	PHOD Full Powers.	NIL	NIL	Nil	Nil
	<p>NOTE :</p> <p>1. Associate Finance concurrence is necessary.</p> <p>2. Special limited tenders may be invited from specialised and reputed contractors/ organisations/ agencies.</p> <p>3. Tenderers need not necessarily borne on approved list</p> <p>4. Special Limited tenders may be adopted in the following situation in consultation with PFA (i) Works of specialised nature (to be approved by PHOD personally)</p> <p>5 Tenderers from whom SLT are to be invited should preferably be more than six but not less than four.</p>						

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	(iii) बाहरी निकायों से पीपीपी प्रोजेक्ट सहित संपत्ति विकास योजनाओं के अलावा अन्य के लिए परामर्श कार्य महाप्रबंधक - प्रविस की सहमति से परामर्श संविदा में पूरी शक्तियाँ।	बोर्ड का पत्र सं. F(X)II-2016/PW/3 दिनांक 14.09.2016, 2017/Trans/01/ नीति दिनांक 18.10.2017	वार्षिक सीमा 10 लाख के अधीन प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1. परामर्श हासिल करने के लिए प्रविस की पूर्व सहमति आवश्यक है।</p> <p>2. परामर्श निविदाओं के लिए निविदा समिति:</p> <p>i). रुपए 5 लाख तक के लिए निविदा समिति का स्तर वरिप्रग्रे का हो 5 लाख रुपये से अधिक के लिए निविदा समिति पीएचओडी स्तर की होगी।</p> <p>ii). परामर्श के लिए सभी एकल निविदाओं के लिए निविदा समिति वरिप्रग्रे की होगी।</p> <p>3. विशेष परिस्थितियों के कारण यदि परामर्श संविदा केवल एकल निविदा के आधार पर निर्धारित की जानी है तो संविदा मूल्य जो भी हो महाप्रबंधक का व्यक्तिगत अनुमोदन आवश्यक होगा।</p>							
	(iv) उत्पादन को अव्यवस्थित करने वाली दुर्घटना, दरार के मामले में एकल निविदा आमंत्रित करना।	रे.बो. का दि. 07.03.2008 का पत्र सं. 2007/CE-1/CT/18 एवं दि. 31.12.2010 का पत्र सं. 2007/CE-I/CT/18 भाग-XII	वार्षिक सीमा 1 करोड़ होने की स्थिति में प्रति मामले 20 लाख रुपये	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1. चक्रवात, बाढ़, दुर्घटना, तोड़-फोड़, दुश्मनी कार्रवाई, विस्फोट, अत्यंत आवश्यक मामले जैसे बाढ़ से उत्पन्न दरार, पानी द्वारा बहा ले जाना, दुर्घटना अथवा अन्य अनदेखी आकस्मिकता के कारण ट्रैक या संपत्ती में हुई क्षति की मरम्मत करने के लिए प्रयोग किया जाए ताकि संचार बनाया रखा जा सके।</p> <p>2. सूची 1 में दिए गए मामलों में दीप सज्जा, वाहनांतरण, संयंत्र, मशीनरी और उपकरण (संचार उपकरण सहित) को भाड़े पर लेने के मामलों को इस पैरा के अधीन रखा जाएगा।</p> <p>3. पी सी डी ओ के अनुलग्नक में शामिल करने के लिए महाप्रबंधक को रिपोर्ट करना आवश्यक है।</p> <p>4. किसी कार्य को अत्यंत आवश्यक कार्य के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय पीएचओडी का अपना विवेक द्वारा किया जाए।</p> <p>5. महाप्रबंधक/पीएचओडी/सीएचओडी द्वारा स्वीकृति के संबंध में प्रविस स्तर की पूर्व वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p>							
8	निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया से छुटकारा और कोटेशन के जवाब में प्राप्त प्रस्तावों को आमंत्रित करना तथा स्वीकृत करना।	रे.बो. का पत्र सं. 1.2007/CE-I/CT/18/Pt दिनांक 05.03.2009 2. 2007/CE-I/CT/18 Pt 13. दिनांक 06.09.10 3. 2007/CE-I/CT/18/Pt.13 दिनांक 11.09.17	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.2 करोड़ रुपये की समग्र वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये तक।	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.2 करोड़ रुपये की समग्र वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये तक।	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 60 लाख रुपये की समग्र वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये तक।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट : 1. सामान्यतः निविदा न आमंत्रित करने की शक्तियों का प्रयोग कम ही की जानी चाहिए। जिन परिस्थितियों के अधीन कोटेशन मंगाया जाना है उसे व्यक्त की जानी चाहिए।</p>							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	(iii) Consultancy works for other than property development schemes from outside bodies including PPP projects GM's Full powers in consultancy contracts with the concurrence of PFA	Bd's Letter No. F(X)II -2016/PW/ 3 dt. 14.09.20162017/Trans /01/Policy dtd 18.10.2017	5 lakh per case, Annual Ceiling of Rs.10 Lakh.	Nil	Nil	Nil	Nil
<p>Note</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Concurrence of PFA is pre-requisite for going in for consultancy</li> <li>2. Tender Committee for consultancy tenders:i. the level of TC upto 5 Lakhs shall be of SAG level, The level of TC Above Rs.5 Lakh shall be of PHOD level.ii. For all single tenders for consultancy, TC shall be of SAG level.</li> <li>3. If the consultancy contract is to be fixed only on single tender basis due to special circumstances, GM's personal approval would be required irrespective of the value of contract.</li> </ol>							
	(iv)To invite single tenders in case of accidents, breaches involving dislocation of production	Rly. Board's lette No. 2007/CE-1/CT/18 dt. 07.03.2008 and 2007/CE-I/CT/CT/18 Pt.XII dt. 31.12.2010	Rs 20 lakhs per case subject to annual limit of Rs. 1 Cr.	Nil	Nil	Nil	Nil
<p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To be operated in times of cyclone, floods, accidents, sabotage, enemy action, explosion, cases of extreme urgency such as works or property or repair damage to track caused by flood breaches, wash aways, accidents or other unforeseen contingency so as to maintain through communications.</li> <li>2. Lighting, transshipment, hiring of plant, machinery and equipment (including communication equipment) in cases listed under1 above will be covered in this para</li> <li>3. Report to GM is necessary for incorporating it in the annexure to the PCDO.</li> <li>4. The discretion to classify any item of work as one of extreme urgency for the purpose should be exercised personally by the PHODs</li> <li>5. Prior finance concurrence at the level of PFA in respect of acceptance by GM/PHOD/CHOD</li> </ol>							
8	To dispense with calling of tenders and to invite & accept offers received in response to quotations.	Rly Board's Letters Nos.1. 2007/CE-I/CT/18/Pt. dt 05.03.2009. 2. 2007/CE-I/CT/18 Pt.13 dt.06.09.10. 3. 2007CE-I/CT/18/ Pt.13 dt.11.09.17	Upto Rs.10 lakhs in each case subject to overall annual limit of Rs. 1.2 cr. per financial year.	Upto Rs.10 lakhs in each case subject to overall annual limit of Rs. 1.2 cr. per financial year.	Up to Rs.5 lakhs per case with annual limit of Rs. 60 lakhs per financial year	Nil	NIL
<p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Normally the powers to dispense with calling of tenders should be exercised sparingly. The circumstances under which quotations are to be called should be spelt out.</li> </ol>							

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8

2. अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग उनके अपने प्रशासनिक अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए। अलग से प्रशासनिक अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है।
3. कार्य को इस छूट की सीमा के भीतर लाने के उद्देश्य से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
4. स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दरों के औचित्य को निष्पक्ष और विस्तार रूप से देखा जाना चाहिए।
5. ऐसे मदों को जिन्हें क्षेत्रीय संविदाओं सहित मौजूदा संविदाओं द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं, उनके लिए कोटेशन नहीं माँगा जाए।
6. फैंसी सामग्रियों (मँहगी परन्तु कम उपयोगी) के लिए कोटेशन नहीं माँगे जाएं।
7. कोटेशन उन्हीं कार्यों के लिए माँगा जाए जो अति आवश्यक प्रकृति की हो।
8. सामान्यतः कम-से-कम तीन अनुभवि ठेकेदारों/एजेंसियों से कोटेशन आमंत्रित किए जाने चाहिए, आवश्यक नहीं है कि वे अनुमोदित सूची में से हो।
9. स्वीकार करने वाला प्राधिकारी को इस बात पर सावधानी बरतनी चाहिए कि कोटेशन सही फर्मों (काल्पनिक फर्मों से नहीं) से ही प्राप्त हुए हैं।
10. कोटेशन द्वारा प्राधिकृत संकर्मों के पूरे विवरणों को दर्शाते हुए निविदा न आमंत्रित करने की शक्ति रखने वाले अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर रखा जाएगा और सहमति प्राप्त करते समय रजिस्टर को संबंधित वित्त विभाग को भेजा जाएगा।
11. इन शक्तियों का प्रयोग केवल फील्ड अधिकारियों और उनके विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाएगा, मुख्यालय के योजना, अभिकल्प आदि के प्रभारी अधिकारी द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
12. वित्तीय सहमति आवश्यक है।

9 संकर्म निविदा (ओटी, एलटी, एसएलटी, परामर्श संविदा) के लिए निविदा समिति और स्वीकृति प्राधिकारी का गठन

क्र.सं.	निविदा का मूल्य	कार्यकारी विभाग	सहयोगी विभाग	लेखा	स्वीकृति प्राधिकारी		
1	50 लाख रुपये तक	वरि.वेतनमान	---	वरि.वेतनमान	कनिप्रग्र/वरिग्रे		
2	50 लाख रु. से अधिक और 02 करोड़ रु. तक	वरि.वेतनमान	वरि.वेतनमान	वरि.वेतनमान	कनिप्रग्र/ वरिग्रे		
3	2 करोड़ रुपये से अधिक और 20 करोड़ रुपये तक	कनिप्रग्र/वरिग्रे	कनिप्रग्र/वरिग्रे	कनिप्रग्र/वरिग्रे	वरिप्रग्रे		
4	20 करोड़ रु. से अधिक और 75 करोड़ रुपये तक	वरिप्रग्रे	वरिप्रग्रे	वरिप्रग्रे	सीएचओडी (वरिप्रग्रे)		
5	20 करोड़ रु. से अधिक और 100 करोड़ रु तक	वरिप्रग्रे	वरिप्रग्रे	वरिप्रग्रे	पीएचओडी		
6	100 करोड़ रुपये से अधिक	सीएचओडी/ पीएचओडी	सीएचओडी/ पीएचओडी	सीएचओडी/ पीएचओडी	महाप्रबंधक		

प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2015/CE-I/CT/O/20/1 दिनांक 03.04.2017, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/CE-I/CT/9 दिनांक 11.09.2017 एवं पत्र सं.2015/CE-I/CT/O/20/1 दिनांक 14.09.2017 के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजन।

नोट: 1.जब किसी विभाग में एक ही वरिप्रग्रे अधिकारी हो और वह सीएचओडी हो तो, मद 4 एवं 5 के मामले में स्वीकृति प्राधिकारी महाप्रबंधक होंगे।

2. एकल निविदा: निविदा समिति एवं स्वीकृति प्राधिकारी के गठन में अधिकारी खुली निविदा/सीमित निविदा के मामले में नामित सदस्यों से कम से कम एक स्तर ऊपर होना चाहिए, सेवाय उसे छोड़कर जहाँ महाप्रबंधक स्वीकृति प्राधिकारी हो। (प्राधिकार : सं. 94/CE-I/CT/4 दिनांक 17.9.1997.सीएचओडी द्वारा स्वीकृत की जाने वाली निविदा समिति के लिए वरिप्रग्रे स्तर होगा।)

3.सीएचओडी द्वारा स्वीकृत की जाने वाली निविदा समिति के लिए वरिप्रग्रे स्तर होगा।

4.परामर्श संकर्म के लिए निविदा समिति:

4.1.परामर्श निविदाओं के लिए निविदा समिति का न्यूनतम स्तर वरिप्रग्रे होगा।

4.2.परामर्श के लिए सभी एकल निविदाओं के लिए निविदा समिति वरिप्रग्रे की होगी।



Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. These powers will be exercised by the officers with their own administrative approval. No separate admn. approval is necessary. 3. The work should not be split up for the purpose of bringing it within the ambit of this dispensation. 4. The reasonableness of rates should be gone into objectively and in detail by the accepting authority. 5. Quotation should not be for items, which can be executed through the existing contracts including Zonal contracts. 6. Quotation should not be for fancy (expensive but of low utility) items. 7. Quotation should only be for works which are urgent in nature. 8. Quotation should normally be invited from atleast three well experienced contractors/ agencies not necessarily borne on the approved list. 9. Accepting authority must take precautions to see that the quotations are from genuine firms (and not from fictitious firms) 10. A register showing the full particulars of works authorised through quotations will be maintained by the officer having powers to dispense with calling of tender and the register shall be sent to associate finance while seeking their concurrence. 11. These powers shall be exercised only by field officers and their controlling HOD's and not by other head quarters officers in charge of Planning, Design etc. 12. Finance concurrence is necessary.						
9.	Constitution of Tender Committee and Accepting authority for Works Tenders (OT,LT,SLT, Consultancy contract)						
Sl. No.	Value of the tender	Executive Dept.	Sister Dept.	Accounts	Accepting Authority		
1	Upto Rs.50 Lakh	Sr.Scale	—	Jr.Scale	JAG/SG		
2	Above Rs.50 lakhs and up to 02 Crore	Sr.Scale	Sr.Scale	Sr.Scale	JAG/SG		
3	Above 02 Crore and up to Rs. 20 Crores	JAG/SG	JAG/SG	JAG/SG	SAG		
4	Above Rs.20 Crores and up to Rs. 75 Crores	SAG	SAG	SAG	CHOD (SAG)		
5	Above Rs.20 crores and upto Rs.100 crores	SAG	SAG	SAG	PHOD		
6	Above 100 Crores	CHOD/PHOD	CHOD/PHOD	CHOD/PHOD	GM		
Authority : Railway Board's letter No. 2015/CE-I/CT/O/20/1/ dated 03.04.2017, Railway Board letter No. 2017/CE-I/CT/9, Dt : 11.09.2017 & Rly. Board delegation as per Ltr.No. 2015/CE-I/CT/O/20/I dt 14/09/2017 Note:- 1. When a department is headed by a single SAG officer who happens to be the CHOD, accepting authority in the case of items 4 and 5 will be GM. 2. SINGLE TENDER: Constitution of tender committee and accepting authority should be at least one step higher than the members nominated in case of open tender/limited tender except where GM is the accepting authority. (Authority : Railway Board's letter No.94/CE-I/CT/4 dt.17.09.1997). 3. The Tender Committee for tenders to be accepted by CHOD is SA Grade shall be of SA grade level. 4. Tender Committee for consultancy Works 4.1. For consultancy tenders, the minimum level of TC shall be of SAG level. 4.2. For all single tenders for consultancy, TC shall be of SAG level.							

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
10	भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविदा और राइडर करार पर हस्ताक्षर करना बशर्ते संविदा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त हो।	रेलवे बोर्ड का दिनांक 12/15.05.2006 का पत्र सं. 2003/CE-I/CT/4 और इंजीनियरिंग कोड का पैरा 1259	पूरी शक्तियाँ	पीएचओडी/ सीएचओडी द्वारा निविदा स्वीकृत करने के लिए उनको दी गई शक्तियों तक पूरी शक्तियाँ	एचओडी द्वारा निविदा स्वीकृत करने के लिए उनको दी गई शक्तियों तक पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1. करार/संविदा का वित्तीय पुनरीक्षण आवश्यक है।</p> <p>2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत होने के उपरांत ही इसके अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाए।</p> <p>3. जहाँ मानक करार मौजूद नहीं हो वहाँ संविदा/करारों को विधि अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया जाए।</p> <p>4. मूल करार के राइडर करार पर उसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन्होंने मूल करार पर हस्ताक्षर किया हो बशर्ते कि निविदा को स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो।</p> <p>5. विधि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार ही हस्ताक्षर प्राधिकारी होने चाहिए</p>							
11	क्षेत्रीय संविदा का कार्य आदेश जारी करना	रे.बो. का दि.29.05.65 का पत्र सं.63/W2/OT/12 और दि. 22.11.2001 का पत्र सं.2001/CE-I/CT/17. इंजी. कोड पैरा	प्रत्येक कार्य के लिए 3 लाख रुपये तक	प्रत्येक कार्य के लिए 3 लाख रुपये तक	प्रत्येक कार्य के लिए 2 लाख रुपये तक	प्रत्येक कार्य के लिए 1 लाख रुपये तक	कुछ नहीं
<p>नोट: 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2. रुपए 1,00,001/- से 2,00,000/- रुपये तक का कार्य आदेश वरि.प्र.ग्रे. अधि. की अनुमोदन से कनि.प्र.ग्रे. अधि. द्वारा जारी किए जाएंगे।</p> <p>3. क्षेत्रीय संविदाओं के अधीन जारी संकर्म का कुल मूल्य निविदा में विनिर्दिष्ट संविदा मूल्य से 1 लाख रुपये अथवा 20% जो भी बड़ा हो- से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>							
12	संकर्मों के लिए संविदाओं में अतिरिक्त मानक/अनुसूची मदों को शामिल करना		पूरी शक्तियाँ बशर्ते कि संशोधित संविदा का संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो	पूरी शक्तियाँ बशर्ते कि संशोधित संविदा का संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो	पूरी शक्तियाँ बशर्ते कि संशोधित संविदा का संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1. यदि अपरिहार्य कारणों से नए अतिरिक्त मद प्रस्तुत करने के लिए, 5 लाख रुपये तक अथवा संविदा मूल्य के 10% तक में, जो भी कम हो, के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p>							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
10	To sign the contract and Rider agreement on behalf of President of India provided award of contract has the sanction of the competent authority.	Rly Board letter No. 2003/CE-I/CT/4 dt 12/15.05.2006 and Para 1259 Engg Code	Full powers	Full Powers upto the powers of acceptance of tender by PHOD/CHOD	Full Powers upto the powers of acceptance of tender by HOD	Nil	Nil
<p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finance vetting of the agreement/contract is necessary.</li> <li>2. Powers under this are to be exercised only after the acceptance of the tender by the competent authority.</li> <li>3. Contract/Agreements are to be vetted by Law Officer where standard agreement does not exist.</li> <li>4. Rider Agreement to the main agreement shall be signed by the authority who signed the original agreement provided the approval of the accepting authority of the tender is obtained.</li> <li>5. Signing authority should be those empowered as per Ministry of Law Notification issued from time to time.</li> </ol>							
11	To issue Work Orders of Zonal Contract	Rly Board's letter No. 63/W2/OT/12 dt. 29.05.65 and No. 2001/CE-I/CT/17dt. 22.11.2001. Engg Code Para	Upto Rs. 3 lakhs for each work	Upto Rs. 3 lakhs for each work .	Upto Rs. 2 lakh for each work	Upto Rs. 1 Lakh for each work	Nil
<p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finance concurrence is not necessary.</li> <li>2. Work orders of Rs. 2,00,001/- to Rs. 3,00,000 shall be issued by JAG officer with the approval of SAG Officer.</li> <li>3. The total value of work orders issued under zonal contracts should not exceed the contract value specified in the tender by more than Rs. 1 lakh or 20% whichever is greater.</li> </ol>							
12	Introduction of additional Standard/Schedule items in contracts for works.		Full Powers Provided that the revised monetary value of the amended contract does not exceed their powers of acceptance.	Full Powers Provided that the revised monetary value of the amended contract does not exceed their powers of acceptance.	Full Powers Provided that the revised monetary value of the amended contract does not exceed their powers of acceptance.	Nil	Nil
<p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finance concurrence is not necessary for introduction of a new additional item, if due to unavoidable and inescapable reasons, subject to maximum ceiling limit</li> </ol>							

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>50000/- रुपये संविदा मूल्य तक के लिए वरिष्ठ/कनिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा और 5 लाख रुपये तक के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।            2.शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य की मर्दों कार्य के मुख्य दायरे से प्रासंगिक होना चाहिए।            3.संविदा मूल्य में संशोधन को भिन्नता स्टेटमेंट द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा।            4.नोट 1 में दी गयी सीमा के अलावा अतिरिक्त एसएसआर मर्दों को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय सहमति एवं सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।            5.अतिरिक्त मर्दों को प्रस्तुत करने के कारण करार के सकल मूल्य की मंजूरी की सक्षमता तय करने के लिए लेख में लिया जाए और सकल मूल्य का निर्धारित करते समय बचत यदि कुछ हो तो उसे लेख में नहीं लिया जाएगा। 6.यदि सकल भिन्नता करार मूल्य के 50% से अधिक हो जाए तो, वित्तीय सहमति सहित महाप्रबंधक की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।</p>						
13	संकर्मों की संविदाओं में नए गैर-मानक अनुसूची मर्दों को शामिल करना।	रे.बो. का दि. 17.3.88 का पत्र सं.87/W/1/CT/10, दि. 5.5.95 का पत्र सं.94 CE-1/CT/37 और दि.31.08.07 का पत्र सं.2007/CE-I/CT/1. रे बो का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति दि : 18.10.2017	पूरी शक्तियाँ (बशर्ते संशोधित संविदा का संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो)	पूरी शक्तियाँ (बशर्ते संशोधित संविदा का संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो)	पूरी शक्तियाँ (बशर्ते संशोधित संविदा का संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	<p>नोट:            1. यदि अपरिहार्य कारणों से नए अतिरिक्त मद प्रस्तुत करने के लिए, 5 लाख रुपये तक अथवा संविदा मूल्य के 10% तक में, जो भी कम हो, के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। इन शक्तियों का प्रयोग निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कनिष्ठ स्तर से कम के नहीं होना चाहिए।            2. प्रत्येक मात्राओं में 25% से अधिक भिन्नता या जहाँ सकल करार मूल्य मूल करार मूल्य के 25% से अधिक हो जाए तो पूर्व वित्तीय सहमति आवश्यक है।            3. भावी निविदाओं में अंतर को उचित सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की एन एस मर्दों की दरों को अंतिम स्वीकृत दर (एल ए आर) के रूप में कोट नहीं किया जा सकता है।            4. सभी मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के गैर-अनुसूची मर्दों के लिए संस्वीकृत दरें उस क्षेत्र में किए गए समान प्रकार के कार्य की दरों से तुलने लायक है।            5. दरों के मानक अनुसूची (SSR) में शामिल मर्दों से ही दर ली जानी चाहिए और जहाँ नई मद एसएसआर मर्दों से थोड़ा - बहुत भिन्न हो तो, नई दर को निर्धारित करने के लिए भिन्नता के बराबर बाजार दर का उपयोग किया जाना चाहिए।            6. अतिरिक्त मर्दों को प्रस्तुत करने के कारण करार के सकल मूल्य की मंजूरी की सक्षमता तय करने के लिए लेख में लिया जाए और सकल मूल्य को निर्धारित करते समय बचत, यदि कुछ हो, तो उसे लेख में नहीं लिया जाएगा।            7. यदि सकल भिन्नता करार मूल्य के 50% से अधिक हो जाए तो, वित्तीय सहमति सहित महाप्रबंधक की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।</p>						
14	कार्य निष्पादन के पूर्व वित्तीय सहमति से ठेकेदारों को अग्रिम राशि प्रदान करना।						

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>of Rs.5 lakhs in a Contract or 10% of the original contract value, whichever is less. These powers shall be exercised by SG/JAG level officer up to a value of Rs. 50,000/- in a contract and by SAG level officer up to a value of Rs.5 Lakhs in a Contract.</p> <p>2. The items of work proposed for inclusion should be relevant to the main scope of work.</p> <p>3. Revision to contract value shall be proposed by way of variation statement.</p> <p>4. Prior finance concurrence and sanction of competent authority is required before introduction of additional SSR items other than the limits stipulated in the Note-1.</p> <p>5. Gross value of the agreement due to introduction of additional items shall be taken into account for arriving at the competency of sanction while working out gross value, savings, if any, shall not be taken into account.</p> <p>6. If the gross variation exceeds 50% of the agreement value, sanction of the General Manager has to be obtained with Finance concurrence.</p>						
13	Introduction of new non schedule items in contracts for works.	Rly Board's letter No.87/W/1/ CT/10 dt. 17.3.88, No. 94 CE-1/CT/37 dt 5.5.95. & No. 2007/CE-I/CT/1 dt: 31/08/2007. Railway Board letter No. 2017/Trans/01/Policy, Dated 18.10.2017.	Full Powers (Provided the revised monetary value of the amended contract does not exceed their powers of acceptance.)	Full Powers (Provided the revised monetary value of the amended contract does not exceed their powers of acceptance.)	Full Powers (Provided the revised monetary value of the amended contract does not exceed their powers of acceptance.)	NIL	NIL
	<p>Note :</p> <p>1. Finance concurrence is not necessary for introduction of a new additional item, if due to unavoidable and inescapable reasons, subject to maximum ceiling limit of Rs. 5 lakhs in a Contract or 10% of the original Contract value, whichever is less. These powers shall be exercised by Tender Accepting Authority not below JAG level.</p> <p>2. Prior finance concurrence is necessary for varying the individual quantities beyond 25% or where the gross agreement value exceeds 25% of the agreement value.</p> <p>3. Rates of such NS items accepted without finance concurrence cannot be quoted as Last accepted rate (LAR) for justifying similar rates in future tenders.</p> <p>4. In all cases, it should be ensured that the rates sanctioned for such non- schedule items, are comparable to the rates for similar works executed in the area.</p> <p>5. Rate should be derived from the items included in the Standard Schedule of Rates (SSR) and where new items vary marginally from SSR items, market rate should be used only to the extent of variation to work out new rate.</p> <p>6. Gross value of the Agreement due to introduction of additional items shall be taken into account for arriving at the competency of sanction. While working out gross value, savings, if any, shall not be taken into account</p> <p>7. If the gross variation exceeds 50% of the agreement value, personal sanction of General Manager has to be obtained with PFA's concurrence.</p>						
14	To the grant of Advance to contractors with Finance concurrence before execution of work						

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	संविदा मूल्य के 10% तक कार्य प्रारंभ की तैयारी हेतु अग्रिम (मोबिलाइसेशन एडवान्स)	इंजी. कोड का पैरा 1264 और म.प्र. एस ओ पी का मद 48, रे.बो. का दिनांक. 04.10.2012 का पत्र सं.2007/CE/CT/ भाग-ii	स्वीकृत निविदा शर्तों के अनुसार पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
14.2	नई मशीन एवं संयंत्र के लिए संविदा मूल्य के 10% तक अथवा कार्यस्थल पर लाई गई नई मशीन और संयंत्र के मूल्य का 75% जो भी कम हो, तक का अग्रिम।	रे.बो. का दि. 04/10/12 का पत्र सं.2007 /CE/CT /18/भाग-B	स्वीकृत निविदा शर्तों के अनुसार पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: मद 14.1 व 14.2 के लिए लागू</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उपरोक्त उल्लेखित सभी अग्रिम रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज के अनुसार होगा।</li> <li>पूँजी प्रधान और विशेष प्रकृति के संकर्म की निविदाओं में यदि निविदा का अनुमानित मूल्य 25 करोड़ रुपये से अधिक हो और यदि संकर्म के लिए अग्रिम देना न्यायसंगत है, तो संविदा की विशेष शर्तों में उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाना चाहिए।</li> <li>जब संकर्म का मूल्य संविदा के मूल मूल्य का 85% हो जाए तो उस समय ठेकेदारों को प्रदान की गई पूरी अग्रिम बिल खाते पर वसूल की जानी चाहिए। पुराने संयंत्र और मशीनरी के लिए किसी प्रकार की अग्रिम नहीं दी जानी चाहिए।</li> <li>इन शक्तियों का प्रयोग उनके संविदाओं के मूल्य को स्वीकृत करने की शक्तियों के अनुसार है।</li> </ol>							
15	संविदाओं में विनिर्दिष्ट मात्राओं में भिन्नता						
	i) संविदाओं में निर्धारित मात्रा में वृद्धि	रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2007 /CE./CT/18 Pt.XII दिनांक 31.12.2010 एवं 08.07.2016	पूरी शक्तियाँ (बशर्ते नोट में दी गई शर्तों को पूरा किया जाता हो और संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो )	पूरी शक्तियाँ (बशर्ते नोट में दी गई शर्तों को पूरा किया जाता हो और संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो )	पूरी शक्तियाँ (बशर्ते नोट में दी गई शर्तों को पूरा किया जाता हो और संशोधित मौद्रिक मूल्य उनकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों से अधिक नहीं हो )	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संविदा में पृथक गैर स्टॉक मदों को 25% अधिक या कम भिन्नता के साथ परिचालित किया जाएगा और करार के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</li> </ol>							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	Mobilisation advance upto 10% of the contract value.	Para 1264 of Engg. Code and Item 48 of GM's SOP, Rly Board letter No. 2007/CE/CT /Pt ii dt 04.10.2012	Full powers as per accepted tender conditions.	Nil	Nil	Nil	Nil
14.2	Advance against new Machinery & Plant Upto 10% of contract value or 75% of the value of the new Machinery and Plant brought to the site of work whichever is less.	Rly.Board's letter.No. 2007/CE/CT/18/Pt.B dt.04/10/2012.	Full power as per accepted tender conditions.	Nil	Nil	Nil	Nil
<p>Note: Applicable for Items 14.1 &amp; 14.2.</p> <p>1. All advances mentioned above shall be subject to levy of interest as prescribed by Board from time to time.</p> <p>2. In tenders for works which are capital intensive and of a specialised nature, if the estimated value of tender exceeds Rs.25 crore and if the work warrants grant of advance, suitable provisions should be included in the special conditions of the contract.</p> <p>3. The advance granted to the contractors should be recovered in full from the 'on account ' bill by the time the value of the works reaches 85% of the original value of the contract. No advance must be given against old Plant and Machinery.</p> <p>4. Exercise of these powers is subject to value of the contracts being within their power of acceptance.</p>							
15	Variation in quantities specified in Contracts.						
	i) Increase in quantities specified in contracts	Rly Board's letter No. 2007/CE.I/CT /18 Pt.XII Dt. 31.12.2010 & Dt. 08.07.2016.	Full powers (Provided the conditions given in the Notes are adhered to and the revised monetary value of the amended contract does not exceed their power of acceptance).	Full powers (Provided the conditions given in the Notes are adhered to and the revised monetary value of the amended contract does not exceed their power of acceptance).	Full powers (Provided the conditions given in the Notes are adhered to and the revised monetary value of the amended contract does not exceed their power of acceptance).	Nil	Nil
<p>Note:</p> <p>1. Individual NS items in contracts shall be operated with variation of plus or minus 25% and payment would have made as per the agreement rate. For this no finance concurrence would be required.</p>							

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>2. किसी विशिष्ट मद की मात्रा में करार से 25% से अधिक वृद्धि होना , अपरिहार्य माना जाता है, ऐसी स्थिति में और एक नई निविदा आमंत्रित कर उसे कार्यान्वित किया जाता है। यदि उस मद को परिचालित करने के लिए नई निविदा आमंत्रित करना तर्कसंगत न लगे तो उस मद की मात्रा करार मात्रा से 125% अधिक तक परिचालित किया जाए (100% अर्थात मूल मात्रा+ 25% अर्थात अधिक मात्रा)</p> <p>3. संविदा में विशिष्ट एनएसओआर मदों को करार दर के अनुसार 25% अधिक या कम भिन्नता के साथ परिचालित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>4. किसी विशिष्ट मद की मात्रा में करार से 25% से अधिक वृद्धि होना अपरिहार्य माना जाता है, और ऐसी स्थिति में एक नयी निविदा आमंत्रित कर उसे कार्यान्वित किया जाता है। यदि उस मद को परिचालित करने के लिए नई निविदा आमंत्रित करना तर्कसंगत न लगे तो उस मद की मात्रा करार मात्रा से 125% अधिक तक निम्नलिखित शर्तों के अनुसार परिचालित किया जाएगा।</p> <p>(a) करार मात्रा के 125% से अधिकता वाले मद के परिचालन के लिए वरिप्रग्रे अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।</p> <p>(i) करार मात्रा से 125% से अधिक और 140% तक के संबंधित मद के परिचालन के लिए उस विशेष निविदा में आमंत्रित दर का 96% भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(ii) करार मात्रा से 140% से अधिक और 150% तक के संबंधित मद के परिचालन के लिए उस विशेष निविदा में आमंत्रित दर का 98% भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(iii) विशेष मदों की मात्राओं में 150% से अधिक की भिन्नता प्रतिबंधित होगी और वित्तीय सहमति से अति विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमति दी जाएगी और उस विशेष निविदा में आमंत्रित दर का 98% भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(b) उपरोक्त सूत्र के अनुसार मात्राओं में भिन्नता केवल कुछ विशेष मदों के लिए लागू होगा नहीं कि संविदा के सारे मूल्य के लिए।</p> <p>(c) संपूर्ण करार मूल्य के 150% से अधिक मात्राओं के निष्पादन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और पूर्व वित्तीय सहमति और महाप्रबंधक के अनुमोदन से नई निविदा द्वारा या वर्तमान ठेकेदारों के साथ बाच-चीच कर निष्पादन किया जाएगा।</p> <p>5. कम मूल्य के मदों में भिन्नता की सीमा 100% होगी (दूसरे मदों के लिए निर्धारित 25% के अधिन)। इस आशय के लिए माइनर मद उसे कहते हैं जिसका मूल्य मौलिक करार मूल्य के 1% से कम हो।</p> <p>6. फाउंडेशन मदों के लिए इस प्रकार की मात्रा भिन्नता लागू नहीं होगी।</p> <p>7. जहाँ तक एसओआर मदों का संबंध है, 25% की सीमा एसओआर अनुसूची के कुल मूल्य पर लागू होगी न कि किसी विशेष एसओआर मदों के लिए। तथापि एनएसओआर मदों के मामले में 25% की सीमा विशेष मदों के लिए लागू होगी (एकल प्रतिशत दर या विशिष्ट मद दर)</p> <p>8. क्षेत्रीय रेलों में स्वीकृत निविदाओं के लिए, मात्रा भिन्ना प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी जिनके अधिकार में करार के संशोधन मूल्य निहित है।</p> <p>9. महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत निविदाओं के लिए, मूल करार मूल्य के 125% तक भिन्नता को महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।</p> <p>10. बोर्ड सदस्यों और रेल मंत्रियों द्वारा स्वीकृत निविदाओं के लिए, मूल करार मूल्य के 110% तक भिन्नता को महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।</p> <p>11. मात्र में भिन्नता के संबंध में निविदा के विचलन के पहलू की जाँच की जानी चाहिए और उससे बचना चाहिए। निविदा में विचलन की स्थिति में (संविदा करार मूल्य में वृद्धि या कमी दोनों) एकल निविदा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली जानी चाहिए।</p>						



Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>2. In case an increase in quantity of an individual item by more than 25% of the agreement quantity is considered unavoidable, the same shall be got executed by floating a fresh tender. If floating a fresh tender for operating that item is considered not practicable, quantity of that item may be operated in excess of 125% of the agreement quantity (100% i.e., the original quantity + 25% i.e., quantity over and above the original quantity) subject to the following conditions</p> <p>3. Individual NSOR items in contracts shall be operated with variation of plus or minus 25% and payment would be made as per the agreement rate. For this, no finance concurrence would be required</p> <p>4. In case an increase in quantity of an individual item by more than 25% of the agreement quantity is considered unavoidable, the same shall be got executed by floating a fresh tender. If floating a fresh tender for operating that item is considered not practicable, quantity of that item may be operated in excess of 125% of the agreement quantity subject to the following conditions:</p> <p>(a) Operation of an item by more than 125% of the agreement quantity needs the approval of an officer of the rank not less than S.A. Grade:</p> <p>(i) Quantities operated in excess of 125% but upto 140% of the agreement quantity of the concerned item, shall be paid at 98% of the rate awarded for that item in that particular tender.</p> <p>(ii) Quantities operated in excess of 140% but upto 150% of the agreement quantity of the concerned item, shall be paid at 96% of the rate awarded for that item in that particular tender.</p> <p>(iii) Variation in quantities of individual items beyond 150% will be prohibited and would be permitted only in exceptional unavoidable circumstances with the concurrence of associate finance and shall be paid at 96% of the rate awarded for that item in that particular tender.</p> <p>(b) The variation in quantities as per the above formula will apply only to the Individual items of the contract and not on the overall contract value.</p> <p>(c). Execution of quantities beyond 150% of the overall agreement value should not be permitted and, if found necessary, should be only through fresh tenders or by negotiating with existing contractor, with prior personal concurrence of PFA and approval of General Manager.</p> <p>5. The limit for varying quantities for minor value items shall be 100% (as against 25% prescribed for other items). A minor item for this purpose is defined as an item whose original agreement value is less than 1% of the total original agreement value.</p> <p>6. No such quantity variation limit shall apply for foundation items.</p> <p>7. As far as SOR items are concerned, the limit of 25% would apply to the value of SOR schedule as a whole and not on individual SOR items. However, in case of NSOR items, the limit of 25% would apply on the individual items irrespective of the manner of quoting the rate (single percentage rate or individual item rate)</p> <p>8. For the tenders accepted at zonal Railways level, variations in the quantities will be approved by the authority in whose powers revised value of the agreement lies.</p> <p>9. For tenders accepted by General Manager, variations upto 125% of the original agreement value may be accepted by General Manager</p> <p>10. For tenders accepted by Board Members and Railway Ministers, variations upto 110% of the original agreement value may be accepted by General Manager</p> <p>11. The aspect of vitiation of tender with respect to variation in quantities should be checked and avoided. In case of vitiation of the tender (both for increase as well as decrease of value of contract agreement), sanction of the competent authority as per single tender should be obtained.</p>						

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	ii) संविदाओं में विनिर्दिष्ट मात्राओं में कमी	रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2007/CE.I/CT/18 Pt.XII दिनांक 31.12.2010	उनके द्वारा स्वीकृत निविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत निविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत निविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट:</p> <p>1.संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी विशिष्ट मदों में से 25% विशिष्ट मदों तक कटौती वित्तीय सहमति के बिना कर सकता है।</p> <p>2.विशेष मदों के लिए 25% से अधिक की कमी या संविदा करार मूल्य के 25% कमी के लिए, ठेकेदार से अदावा प्रमाणपत्र लेकर और वित्तीय सहमति से और कमी के लिए विस्तृत कारण देते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन कम-से-कम वरिप्रग्रे अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।</p> <p>3.यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि कम करने के लिए प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता फिर उसी कार्य में नहीं पड़ेगा।</p> <p>4.मात्रा में भिन्नता के संबंध में निविदा के विचलन के पहलू की जाँच की जानी चाहिए और उससे बचना चाहिए। निविदा में विचलन की स्थिति में (संविदा करार मूल्य में वृद्धि या कमी दोनों) एकल निविदा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली जानी चाहिए।</p>							
16	संविदा को पूरा करने की तारीख को बढ़ाना	भंडार कोड का पैरा 445 व इंजी. कोड का पैरा 1266 एवं 1267	उनके द्वारा हस्ताक्षरित निविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत निविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत निविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: विस्तार पत्र की मूल संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे बशर्ते कि :-</p> <p>a. विलंब के कारण कोई नुकसान अथवा क्षति नहीं होगी।</p> <p>b. यदि कोई एक अथवा दोनों (उपरोक्त a व b) शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो, आवश्यकतानुसार कानूनी सलाह लेने के उपरांत वित्त के परामर्श से ही ऐसे विस्तार दिए जाएंगे।</p>							
17	(a)कार्यनिष्पादन गारंटी (पी जी) की वापसी	रे.बो. का दि.28.09.07 का पत्र सं. 2007/CE.I/CT/18	उनके द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट:</p> <p>1.वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2.प्रत्यक्ष रूप से कार्य पूरा होने पर, कार्य समापन प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किए जाने पर कि ठेकेदार ने सभी प्रकार से कार्य को संतोषजनक तौर पर पूरा किया है तो पी जी वापस कर दिया जाएगा।</p>							
	(b) प्रतिभूति जमा (एस डी) की वापसी	रे.बो.का दि.12/16.05.2006 का पत्र सं.2003/CE/CT/4/भाग-I	उनके द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	ii) Decrease in quantities specified in contracts.		Full powers in respect of contracts accepted by them.	Full powers in respect of contracts accepted by them.	Full powers in respect of contracts accepted by them.	Nil	Nil
<p>Note: Authority: Railway Board's letter No. 2007/CE.I/CT/18 Pt.XII dt. 31.12.2010</p> <p>1. The contract signing authority can decrease the items upto 25% of individual item without finance concurrence.</p> <p>2. For Decrease beyond 25% for individual items or 25% of contract agreement value , the approval of an officer not less than rank of S.A.Grade may be taken, after obtaining 'No Claim Certificate' from the contractor and with finance concurrence, giving detailed reasons for each such decrease in the quantities.</p> <p>3. It should be certified that the work proposed to be reduced will not be required in the same work.</p> <p>4. The aspect of vitiation of tender with respect to variation in quantities should be checked and avoided. In case of vitiation of tender (both for increase as well as decrease of value of contract agreement) sanction of competent authority as per single tender should be obtained.</p>							
16	To extend the date of completion of contract	Para 445- Stores Code & 1266 and 1267 of Engg. Code.	Full powers in respect of contracts Signed by them	Full powers in respect of contracts accepted by them	Full powers in respect of contracts accepted by them	Nil	Nil
<p>Note:</p> <p>The Letter of extensions shall be signed by the authority who signed the original contract subject to:</p> <p>a. The delay will not cause loss or damage.</p> <p>b. If any or both the conditions (a &amp; b above) are not satisfied, such extensions shall be given only in consultation with finance after taking legal advise if necessary.</p>							
17	(a) Release of Performance Gurantee (PG)	Rly Board's letter No. 2007/CE.I /CT/18 dt 28.09.07	Full powers in respect of contracts signed by them	Full powers in respect of contracts signed by them	Full powers in respect of contracts signed by them	Nil	Nil
<p>Note : 1. Finance concurrence is not necessary</p> <p>2.The PG shall be refunded after the physical completion of the work on the completion certificate stating that the contractor has completed the work in all respect satisfactorily.</p>							
	(b) Refund of Security Deposit (SD)	Rly.Board.Letter.No. 2003/CE/CT/4/Part-I dated 12/16.05.2006	Full powers in respect of contracts signed by them	Full powers in respect of contracts signed by them	Full powers in respect of contracts signed by them	Nil	Nil

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>नोट:</p> <p>1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि अनुरक्षण अवधि अथवा गारंटी अवधि यदि कोई, संतोषजनक तरीके से पूरी हो गई हो और ठेकेदार को कोई भुगतान देय अथवा उससे वसूली के लिए कोई बकाया नहीं हो।</p> <p>2. कार्य को प्रत्यक्ष रूप से पूरा होने के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ठेकेदार को प्रतिभूति जमा राशि वापस कर दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी सामान्यतः वही अधिकारी होंगे जो संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हैं। यदि सक्षम प्राधिकारी कनि.प्र.ग्रेड से निम्न श्रेणी के अधिकारी हैं तो, किसी कनि. प्र. ग्रे. अधिकारी (कार्य से संबंधित) द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्रमाणपत्र में, अन्य बातों के साथ, यह उल्लेख होना चाहिए कि कार्य सभी मामले में पूरा कर लिया गया है तथा ठेका संबंधी सभी शर्तों को ठेकेदारों द्वारा पूरा किया गया है, और संबंधित संविदा के अधीन रेलवे के प्रति ठेकेदार का कोई बकाया नहीं है। एस डी रिलीज करने से पहले, ठेकेदार से बिना शर्त और सुस्पष्ट अदावा प्रमाणपत्र लिया जाए।</p>							
18	बयाना राशि जमा और प्रतिभूति जमा राशि की जव्ती और संकर्म के लिए निष्पादन गारंटी का नकदीकरण।	1. पैरा 1243 और 1244 इंजी. कोड. 2. रे बो का पत्र सं. 2003/CE-1/CT/4/PT.1 दि. 12.5.06. व सं. 2007/CE-1/CT/18. दि.28.09.07	निविदाओं के प्रावधान के अनुसार और उनके द्वारा स्वीकृत संविदाओं के लिए पूरी शक्तियाँ। महाप्रबंधक और उच्च प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत संविदाओं के मामले में पीएचओडी द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।	निविदाओं के प्रावधान के अनुसार और उनके द्वारा स्वीकृत संविदाओं के लिए पूरी शक्तियाँ।	निविदाओं के प्रावधान के अनुसार और उनके द्वारा स्वीकृत संविदाओं के लिए पूरी शक्तियाँ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट:</p> <p>1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2. संविदा स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी प्रतिभूति जमा राशि जब्त करेगा और संबंधित लेखा विभाग को लिखित में सूचित करेगा कि उसी माह में अर्जन को क्रेडिट किया जाए और उसकी एक प्रति ठेकेदार को दें।</p> <p>3. संविदा हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी, बैंक क्रेडिट से प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पीजी के नकदी के लिए लिखित में सूचना देंगे और उसकी एक प्रति ठेकेदार को दिया जाएगा।</p>							
19	किसी कार्य के लिए समापन रिपोर्ट की मंजूरी प्रदान करना	इंजीनियरिंग कोड का पैरा 1706	उनके द्वारा संस्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा संस्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा संस्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट:</p> <p>1. समापन रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न के लिए संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए।</p> <p>(i) प्रत्येक उप कार्य के अधीन अनुमानित प्रावधान के ऊपर 10% से कम या 25000/- रुपये जो भी कम हो।</p> <p>(ii) किसी भी उप कार्य के अधीन उत्पन्न 20% से कम या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो की बचत।</p>							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>NOTE 1. Finance concurrence is not necessary, provided maintenance period or guarantee period if any, is satisfactorily completed and there are no dues to be paid or recovered from the contractor.</p> <p>2. Security deposit shall be returned to the contractor after the physical completion of the work as certified by the Competent Authority. The Competent Authority shall normally be the authority who is competent to sign the contract. If the Competent Authority is of the rank lower than JA Grade, then a JA Grade officer (concerned with the work) should issue the certificate. the certificate, inter alia, should mention that the work has been completed in all respects and that all the contractual obligations have been fulfilled by the contractors and that there is no due from the contractor to Railways against the contract concerned. Before releasing the SD, an unconditional and unequivocal no claim certificate from the contractor concerned should be obtained.</p>						
18	Forfeiture of Earnest Money Deposit and Security Deposit and encashment of Performance Guarantee for works.	1. Para-1243 and 1244 of Engg. Code. 2. Rly. Bd's letters No. 2003/CE-1/CT/ 4/PT. I dt. 12-05-06 & No. 2007/CE- 1/CT/18, dt. 28-09-07.	Full Powers in accordance with the provision of tenders and contracts accepted by them. In respect of contracts accepted by GM and higher authority the powers will be exercised by PHOD.	Full Powers in accordance with the provision of tenders and contracts accepted by them.	Full Powers in accordance with the provision of tenders and contracts accepted by them.	Nil	Nil
	<p>Note:</p> <p>1. Finance concurrence is not necessary.</p> <p>2. Contract accepting authority shall forfeit the SD and advise in writing to associate accounts to ensure credit to earnings in the same month with a copy to the contractor.</p> <p>3. Contract signing authority shall advise in writing for encashment of PG to associate accounts to ensure realization from the Bank Credit to earnings in the same month with a copy to contractor.</p>						
19	To sanction completion Report for a work	Para 1706 of Engg. Code	Full powers in respect of works sanctioned by them	Full powers in respect of works sanctioned by them	Full powers in respect of works sanctioned by them	Nil	Nil
	<p>Note:</p> <p>1. While preparing completion report brief explanation should be furnished for:</p> <p>(i) Excess of not less than 10% or Rs.25000 whichever is less, over the estimated provision under each sub work.</p> <p>(ii) Saving of not less than 20% or Rs.1 lakh whichever is less, occurring under any subwork.</p>						

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. ये शक्तियाँ अधिक अनुमान के अतिरिक्त प्राधिकारी की शक्तियों के आधार पर भिन्नता के अधीन है। 3. सभी समापन रिपोर्टों का संकर्म रजिस्टर और प्राप्त लेखा वेटिंग के साथ समाधान किया जाए।						
20	(i)संविदा को पूरा करने में असफल रहने पर जीसीसी के खंड-17 B के अधीन ठेकेदार से वसूली हेतु परिनिर्धारित हर्जाना राशि का निर्धारण		उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	नोट: 1.वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। प्राधिकार:इंजीनियरिंग कोड का पैरा 1267 और जी सी सी का खण्ड-17B						
	(ii)जीसीसी के खंड17 B के अधीन संविदा को विस्तार प्रदान करते समय ठेकेदारों से वसूलने योग्य टोकन दंड लगाना।	1.इंजीनियरिंग कोड का पैरा-1267 एवं संविदा के सामान्य शर्तों का खंड 17B 2.रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2007/CE-1/CT/18 दिनांक 28.9.07	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	नोट: 1.वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। 2.टोकन दंड की मात्रा निर्धारित की जाए।						
	(iii)ठेकेदारों से वसूल किए गए टोकन दंड को छोड़ देना	1.इंजीनियरिंग कोड का पैरा-1267 एवं संविदा की सामान्य शर्तों का खंड 17B 2.रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2007/CE-1/CT/18 दिनांक 28.9.07	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	नोट: 1.वित्तीय सहमति आवश्यक है।						
21	संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाओं को रद्द/ समाप्त करना	1.इंजीनियरिंग कोड का पैरा 1270 2 .रेलवे बोर्ड का पत्र सं.87/W1/CT/5 दिनांक 18.12.87	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	उनके द्वारा स्वीकृत संविदा की स्थिति में पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	नोट: 1.जीसीसी के खंड 62 के अधीन संविदा निर्धारित करने के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। 2.जीसीसी के खंड 61 के अधीन संविदा निर्धारित करने के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है। 3. ठेकेदार को संविदाओं को रद्द करने /समाप्ति की सूचना उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन दी जाएगी जो मूल संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी की श्रेणी के कमतर न हो।						

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>2. These powers are subject to the variation being within the powers of sanctioning authority for excess over estimate.</p> <p>3. All CRs should be reconciled with Works Register and Accounts vetting obtained.</p>							
20	(i) Determination of amount of Liquidated Damages recoverable from contractors failing to fulfil contracts for works in accordance with Clause-17 B of GCC	Para-1267 of Engg. Code & Clause 17 B of General Conditions of Contract (GCC).	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Nil	Nil
1. Finance concurrence is not necessary.							
	(ii) Levy of Token penalty recoverable from contractors while granting extension of contract under Clause 17 B of GCC.	1. Para-1267 of Engg. Code & Clause 17 B of General Conditions of Contract (GCC). 2. Rly. Bd's letter No. 2007/CE-1/CT/18, dt. 28-09-07.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Nil	Nil
<p>Note : 1. Finance concurrence is not necessary.</p> <p>2. Token Penalty shall be quantified.</p>							
	(iii) Waiver of Token Penalty recovered from contractors.	1. Para-1267 of Engg. code & Clause 17 B of General Conditions of Contract (GCC). 2. Rly. Bd's letter No. 2007/CE- 1/CT/18 dated 28-09-07	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Nil	Nil
1. Finance concurrence is necessary.							
21	To cancel/ Terminate contracts in accordance with the conditions of contract.	1. Para-1270 of Engg. code.2. Board's lr.No.87/W1/CT/5 dt.18.12.87	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Full Powers in respect of contracts accepted by them.	Nil	Nil
<p>1. No finance concurrence required for determination of contract under Clause 62 of GCC</p> <p>2. Finance concurrence is necessary for determination of contract under Clause 61 of GCC.</p> <p>3. The cancellation/termination of contracts shall be conveyed to the contractor under the signature of the authority not lower in rank than the original signing authority.</p>							

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
22	रेल हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा निकायों अर्थात् रेलवे सहकारी संस्था, सहकारी क्रेडिट संस्थानों को रेलवे के भवन भाड़े पर देना।	इंजीनियरिंग कोड का पैरा 1960 और 1962	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1. रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किराया प्रभार को छोड़कर अन्य किराया प्रभार वित्तीय सहमति लेकर उप मुख्य इंजीनियर द्वारा तय किया जाएगा।</p> <p>2. किरायादार और रेल प्रशासन के बीच एक करार तैयार किया जाएगा जिसे विधि और वित्त विभाग द्वारा पुनरीक्षित किया जाना चाहिए।</p>							
23	अधिकारियों के बंगला में आवश्यक नए कार्यों (पुराने के बदले नया लगाना, मरम्मत और अनुरक्षण के अलावा) पर व्यय की मंजूरी देना।	रे.बो. का दिनांक 25/27.08.2014 का पत्र सं. 2014/LMB-II/1/1 और इंजीनियरिंग कोड का पैरा-1904	प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये तक बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के लिए कुल राशि 30 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1. इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय सहमति के साथ किया जाए।</p> <p>2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 30 लाख रुपये की संपूर्ण सीमा पार नहीं हुआ है, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने से पहले बिजली कार्य सहित सभी मामलों को मुख्य इंजीनियर के कार्यालय में एक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाए। स्वीकार्यता के लिए प्रत्येक मामले का पृष्ठांकन किया जाएगा।</p>							
24	कार्यालयों के रूप में अधिग्रहित भवनों का भाड़ा एवं टैक्स भुगतान की मंजूरी	वित्तीय कोड पैरा-1040 के अधीन नोट	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट: वित्तीय सहमति आवश्यक है।							
25	इंजीनियरिंग/यांत्रिक संयंत्र आरक्षित संकर्म से दूसरे रेलवे, सरकारी विभाग अथवा निजी निकायों को संयंत्र को जारी करना और ऋण पर देना।	पैरा 1906 एवं 1921-भंडार कोड, रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.3.67 एवं 23.2.80 का पत्र सं. 64/WE/ CT/55	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1. वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>2. लागू भाड़ा प्रभार लगाया जाएगा।</p> <p>3. रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियाँ की जाए।</p>							
26	रेपका को पानी आपूर्ति के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ता को भुगतान।	रे.बो. का दि.14.01.75 का पत्र सं.74/EB/3000	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट:</p> <p>1. वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>2. केवल पानी के अभाव और आपात्काल में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।</p>							



Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
22	To let out Railway building on hire to persons or bodies working in the interest of Railway eg., Railway Co-operative Societies, Co-operative Credit Societies	Para 1960 & 1962 of Engg. Code	Full powers	Full powers	Nil	Nil	Nil
Note: 1. Rental charges except where specified by Railway Board will be fixed by Dy.CE with the concurrence of Finance. 2. An agreement shall be drawn between the tenant and the Railway Administration to be vetted by Law and Finance Branch.							
23	To sanction expenditure on essential new works (other than replacement, repairs and maintenance) in officers' bungalows.	Rly.Board's Letter No. 2014/LMB-II/1/1 dt.25/27.08.2014 and Para 1904 of Engg Code	Upto Rs.1.00 lakh in each case provided total amount does not exceed Rs. 30 lakhs for the financial year.	Nil	Nil	Nil	Nil
1 These powers are to be exercised with Finance Concurrence. 2 To ensure that the overall ceiling of Rs.30 lakhs is not exceeded, all cases including electrical works should be got entered in a register to be maintained by Ce's office before obtaining sanction of the competent authority. Each case will be endorsed for admissibility.							
24	To sanction payment of rent and taxes of building occupied as offices	Note under Para-1040 Finance Code.	Full powers	Full powers	Nil	Nil	Nil
Note: Finance concurrence is necessary.							
25	To issue plant from Engg./Mech.Plant reserve works and on loan to other Railways, Govt. Departments or Private bodies.	Para 1906 & 1921- Stores code, Rly Board's letter No.64/ WE/CT/55 dt 27.3.67 & 23.2.80	Full powers	Full powers	Full powers	Nil	Nil
Note: 1. Finance concurrence is necessary. 2. Applicable hire charges shall be levied. 3. All precautions to safeguard Railway property should be taken.							
26	Payment to outsiders for supply of water to RWF	Rly Board's letter No. 74/ EB/3000 dt 14.1.75.	Full powers	Full powers	Full powers	Nil	Nil
Note: 1. Finance concurrence is necessary. 2. Should be exercised only during water scarcity and emergency.							

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. यदि करार मानक फॉर्म में नहीं हों तो इसे वित्त विभाग और विधि अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।						
27	रेलवे के लिए कार्य करने वाले रेलवे ठेकेदारों सहित बाहरी लोगों को पानी नल कनेक्शन।	रे.बो. का दिनांक 14.01.75 का पत्र सं.74/EB/3000	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	नोट: 1. बाहरी लोगों को सुविधा प्रदान करने में लगने वाले सभी प्रासंगिक शुल्कों की वसूली पहले से ही की जानी चाहिए। 2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों में पानी शुल्क की वसूली पहले से ही की जानी चाहिए।						
28	बिक्री अथवा नीलामी द्वारा जीवित अथवा मृत वृक्षों का निपटारा।	रे.बो. का दि. 14.01.75 का पत्र सं.74/EB/3000	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	नोट: 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। 2. बिक्री/नीलामी के पूर्व आरक्षित मूल्य निर्धारित की जानी चाहिए। 3. आरक्षित मूल्य का किसी कनि.प्र.ग्रे. अधिकारी द्वारा कम से कम छः माह में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए। 4. किसी पेड़ को काटने से पहले संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।						
29	(a)बीज और पौधों की खरीद।		2.5 लाख रुपये/वर्ष	1 लाख रुपये/वर्ष	50000/-रुपये तक/वर्ष	25000/-रुपये तक/वर्ष	10000/-रुपये तक/वर्ष
	(b)कर्मशाला परिसर के अंदर बगीचों के रख-रखाव के लिए काली/लाल मिट्टी, खाद, फूल गमला, बीज आदि की खरीद।		ऊपर के समान	ऊपर के समान	ऊपर के समान	ऊपर के समान	ऊपर के समान
	नोट: 1.वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। 2. पौधों की खरीद सरकारी नर्सरियों से की जानी चाहिए। 3. सरकारी एजेंसियों के अलावा की जाने वाली खरीद के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष का अनुमोदन चाहिए।						
30	विशेष अवसरों पर रेल इंस्टीट्यूट, रेल कर्मचारियों के घर और अन्य क्षेत्रों में रोशनी के लिए बिजली कनेक्शन की अस्थायी मंजूरी।		पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31	रेपका कंप्लेक्स के अंदर ठेकेदारों, दुकानों, वाणिज्यिक संगठनों, बैंकों, डाक घर, विद्यालयों एवं कल्याण संगठनों को बिजली कनेक्शन की मंजूरी देना।		पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Agreement should be vetted by Finance and Law Officer if it is not on standard form.							
27	Water tap connection to outsiders including Railway contractor doing Railway work.	RlyBoard's letter No.74/EB/3000 dt 14.1.75.	Full powers	Full powers	Full powers	Nil	Nil
Note: 1. All charges incidental in providing the facility to outsiders should be collected in advance. 2. The water charges at the rates accepted by the competent authority should be collected in advance.							
28	Disposal of live and dead trees by sale or auction	Rly Board's letter No.74/EB/3000 dt 14.1.75.	Full powers.	Full powers.	Full powers.	Nil	Nil
Note: 1. Finance concurrence is not necessary. 2. Reserve price should be fixed prior to sale/auction. 3. Reserve price should be reviewed by a JAG Officer once in 6 months. 4. Approval from other concerned Central/State Govt. may be obtained before felling any tree.							
29	(a) Purchase of seeds and saplings.		Rs.2.5 Lakhs/ year	Rs.1 Lakh/year per year.	Upto Rs 50000/- per year	Upto Rs 25000/-	Upto Rs.10000/ per year.
	(b) Purchase of black/red soil, manure, flower pots, seeds etc., required for maintenance of Gardens including those within the workshop premises.		Same as above	Same as above	Same as above	Same as above	Same as above
Note: 1.Finance concurrence is not necessary. 2 The procurement of saplings should be made from the Government Nurseries. 3 For purchases from other than Government Agencies, approval of Co-ordinating HOD should be obtained.							
30	To sanction temporary electric connections for lighting in Railway Institutes, House of Railway employees and other areas on special occasions.		Full powers	Full powers	Nil	Nil	Nil
31	To sanction electric connection to contractors, shops, commercial organisations, banks, post office, schools & welfare organisation within RWF complex.		Full powers	Full powers	Nil	Nil	Nil

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
32	रेपका परिसर में कार्य कर रहे ठेकेदारों को अल्पावधि के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन की मंजूरी देना (वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं)		पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: मद सं.30, 31 व 32 के लिए लागू।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>लेखा विभाग द्वारा विधिवत् सत्यापित अनुमानित लागत पार्टी द्वारा कार्य आरंभ होने से पहले जमा की जानी चाहिए।</li> <li>रेल कर्मचारी अथवा बाहरी लोगों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से कब्जा किए गए स्थानों पर कनेक्शन के लिए मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी।</li> <li>म.प्र. के एसओपी की मद सं.52 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन की जानी चाहिए।</li> <li>बिजली आपूर्ति का उपयोग वास्तविक आवश्यकताओं के लिए और अनिवार्य परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए।</li> <li>ठेकेदारों से ऊर्जा खपत शुल्क की वसूली के लिए बिजली विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा।</li> </ol>							
33	किसी भी ओपेन लाइन खंड में सार्वजनिक यातायात को हमेशा के लिए बंद कर देने व तोड़कर हटाने के अलावा जिन परिसंपत्तियों को बदलने का प्रस्ताव नहीं किया गया हो को तोड़कर हटाने की मंजूरी प्रदान करना।	मोडल एसओपी(भा.रे.)	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1.वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत को संदर्भित करता है।</li> <li>शक्तियों का प्रयोग उपयोगकर्ता विभाग और संबंधित वित्त के अनुमोदन के अधीन किया जाए।</li> <li>आवश्यक प्राक्कलन की मंजूरी।</li> <li>हटाई गई परिसंपत्तियों का सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निपटान की जानी चाहिए और प्राप्ति योग्य पुनर्विक्रय लागत प्राप्त की जानी चाह।</li> </ol>							
34	स्टॉक सत्यापन के दौरान भंडार और औजार व संयंत्र के खो जाना पता लगने पर ज्ञात संख्यात्मक रिटर्न को बट्टे खाते में डालना, जब मूल्य का कोई समायोजन आवश्यक नहीं है।	मोडल एसओपी(भा.रे.)	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1 .वित्तीय सहमति आवश्यक है। प्राधिकार: मोडल एसओपी(भा.रे.)</p>							
35	मंजूरी के लिए प्रतिक्षित समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कार्यों को पूरा होने के संबंध में क्रेडिट से संबंधित प्रभार का समायोजन।	इंजीनियरिंग कोड का पैरा-1717 व 1718	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट: 1.वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p>							

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
32	To sanction temporary electric connections for short durations to contractors in execution of Railway work in RWF premises. (Finance concurrence is not required)		Full powers	Full powers	Nil	Nil	Nil
<p>Note: Applicable for item No.30, 31 &amp; 32.</p> <p>1.The estimated cost duly verified by Accounts should be deposited by the party before commencement of work.</p> <p>2. No connection shall be sanctioned to any place under illegal occupation by Railway staff or outsiders.</p> <p>3. Conditions laid down against item 52 of GM's SOP should be followed.</p> <p>4. Supply should be utilised for bonafide requirements and power used in inescapable circumstances.</p> <p>5. The energy consumption charges will be intimated by Electrical Deptment to concerned for recovery of the same from contractors.</p>							
33	Sanction to dismantlement of assets not proposed to be replaced other than dismantling/ permanently closing to public traffic of any open line section.	Model SOP (IR)	Full Powers	Nil	Nil	Nil	Nil
<p>Note :1. Finance concurrence is necessary.</p> <p>2. The value refers to the original cost of the asset.</p> <p>3. The powers to be exercised subject to the approval of user department and concurrence of associate finance.</p> <p>4. Sanction of necessary estimates.</p> <p>5. The dismantled assets should be disposed off as per normal procedure and realizable resale costs obtained.</p>							
34	Write off from the numerical returns of stores and tools and plant lost/ detected during stock verification (i.e.) when no adjustment of value is necessary.	Model SOP (IR)	Full Powers	Nil	Nil	Nil	Nil
Note : Finance concurrence is necessary.							
35	Adjustment of charges of credits relating to completed works after the completion report (CR) has been drawn awaiting sanction.	Para-1717 &1718 of Engg. code.	Full Powers	Nil	Nil	Nil	Nil
Note : 1. Finance concurrence is necessary.							

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकार	पीएचओडी/ सीएचओडी	एचओडी	डिप्टी एचओडी	वरि. वेतनमान	कनि. वेतनमान./ सहा.अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
36	वित्तीय सहमति से उपकरण, संयंत्र और मशीनरी के निदान पर व्यय का वहन	1.बोर्ड का पत्र सं.98-BC-AP-4.2.3/96-97 दिनांक 13.04.99 CS सं.5 दिनांक 22.3.2000 2.रेलवे संरक्षा समीक्षा समिति 1998 मद सं.4.20.19 3.रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017	पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

Sl. No.	Description of Item	Authority	PHOD/CHOD	HOD	Dy.HOD	Senior scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Incurring expenditure on diagnosis of fault of a equipment, plant and machinery with finance concurrence.	1. Board's L. No. 98-BC-AP-4.2.3/96-97 dtd. 13.4.99 CS No. 5 dtd. 22.3.2000. 2. Railway Safety Review Committee. 1998 item no. 4.20.193. RB Ltr.No. 2017/Trans/01/Policy dt. 18.10.2017	Full Powers	Nil	Nil	Nil	Nil

